न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

1–अपील संख्या 4/2017

1. स्वरूपसिंह
2. जसपालसिंह | पिसरान हरदयालसिंह निवासी 75 जी.बी. तहसील अनूपगढ
3. मन्दरसिंह | जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ। ––रेस्पोंडेन्ट

2–अपील संख्या 9/2017 .

1. मिठूसिंह
2. हरिसिंह | पिसरान धर्मसिंह
3. मक्खनसिंह
4. सीतासिंह
5. छिन्दासिंह
6. जीतसिंह | पिसरान प्रीतमसिंह | जाति मजहबी निवासीगण
7. गुरजन्टसिंह | 75 जी.बी. तहसील अनूपगढ
8. गुडडी कौर | जिला श्रीगंगानगर
9. ज्ञान कौर
10. बीवो
11. कुका कौर
12. सिंगारासिंह पुत्र भागसिंह
13. अमरजीत कौर | पिसरान निरंजनसिंह
14. राजवीर कौर
15. जसवीर कौर
16. नाजमसिंह
17. बन्सकौर | पिसरान बचनसिंह ———अपीलार्थीगण
18. बीबो

बनाम

1. स्वरूपसिंह
2. जसपालसिंह
3. मन्दरसिंह

पिसरान हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी 75 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ।––रेस्पोंडेन्ट्स

3–अपील संख्या 83/2017 .

लेम्बहर दास पुत्र साधुसिंह जाति हरीजन निवासी 75 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलार्थी

बनाम

1. स्वरूपसिंह
2. जसपालसिंह
3. मन्दरसिंह

पिसरान हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी 75 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ।––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील सं. 4/2017 व 9/17 अन्तर्गत धारा 75 रा.भू–रा.अ.1956
व अपील सं. 83/2017 अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि.1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 24.08.2016

उपस्थितिः–

श्री तेजासिंह अभिभाषक स्वरूपसिंह आदि की ओर से
श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपील सं. 9/2017 व 83/2017
श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 30.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. स्वरूपसिंह ने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष एक प्रा.पत्र राज.काश्त.अधि. 251क के तहत पेश कर चक 75 जी.बी. के मु.नं. 49 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रा.पत्र पेश किया। उक्त प्रा.पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये जिसपर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर अधी. न्यायालय ने दिनांक 08.07.2015 को पत्रावली कायम कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 15.07.2015 नियत की गई। पत्रावली दिनांक 15.07.2015 को पेशी में न आकर दिनांक 24.08.2016 को पेशी में

आई, जिस दिन आवेदित रास्ता स्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध तीनों ही अपीले पेश हुई हैं।

चूंकि तीनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से तीनों ही अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपील सं. 4/2017 में अपीलांट द्वारा डी.एल.सी. की दुगुणी राशि जमा कराने की सीमा तक आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है एवं उक्त अपील में मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील अन्दर मियाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील सं. 83/2017 में अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है एवं अपने अपील मीमों में अंकित किया है कि रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बाबजूद आवेदित रास्ता स्वीकृत किया है जो उचित नहीं है। उक्त अपील में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करवाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने एवं अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील सं. 9/2017 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। मु.नं. 49 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में खाला स्वीकृत है। खाला की भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील सं. 9/2017 में अपीलांट द्वारा प्रा.पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है। उक्त तीनों ही अपीलें आदेश दिनांक 24.08.2016 के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 08.02.2017, 15.02.2017 एवं 02.06.2017 को प्रस्तुत की गई है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं, उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से तीनों ही अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 08.07.2015 को कायम कर अप्रार्थी को तलब कर आगामी तारीख पेशी 15.07.2015 नियत की गई है। पत्रावली दिनांक 15.07.2015 को पेशी में नहीं आयी। उसके पश्चात लगभग एक पश्चात दिनांक 24.08.2016 को पत्रावली पेशी में लेकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए एवं उसकी कियान्विति हेतु बने नियमों की पालना किये बिना ही आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों ही अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी. न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए सभी सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर